



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1598

दिनांक-06.07.2025

जोन-मध्य /थाना आलमबाग

- फर्जी पुलिस कान्टेबल/एनएसजी कमाण्डो को अवैध प्रतिबन्धित पिस्टल मय कारतूस व कूट रचित दस्तावेज के साथ किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से कूटरचित पुलिस परिचय पत्र, वायरलेस सेट, मोबाइल सहित अन्य कूटरचित सामग्री बरामद।
- थाना आलमबाग पुलिस टीम की कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.07.2025 को उ0नि0 संदीप कुमार मय हमराह उ0नि0 हरिओम प्रताप सिंह, हे0का0 राजीव शंकर, का0 अविनाश के साथ बस अड्डा आलमबाग पर शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन ड्यूटी में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो अपने आप को एनएसजी कमाण्डो बताते हुए बसों के कंडक्टरों को अपना आईडी कार्ड दिखाकर फ्री में यात्रा करने के लिए बस कंडक्टरों से बतमीजी कर रहा है और अब तक कई बस वालों को दबाव में लेने की कोशिश कर चुका है। उसके चाल चलन व हाव भाव से पुलिस का ट्रेनिंग शुदा व्यक्ति नहीं लग रहा है और बस स्टैण्ड से निकल कर तेजी से टेढ़ी पुलिया की तरफ जा रहा है, यह संदेह है कि वह फर्जी एनएसजी कमाण्डो है अगर जल्दी कर पकड़ कर पूछताछ किया जाये तो सच्चाई पता चल सकती है।

मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है, मय मुखविर खास को साथ में लेकर बस अड्डे से रवाना होकर गेटवे मल पहुंचे थे कि एक व्यक्ति ब्लेजर पहने हुए हाथ में वायरलेस हैण्डसेट लेकर पैदल तेजी से जा रहे व्यक्ति की तरफ इशारा करके मुखबिर खास ने बताया कि यह वही व्यक्ति है मुखविर खास इशारा करके हट बढ गया। कूटरचित एनएसजी की वर्दी पहने हुए व्यक्ति के पास हम पुलिस वाले हिकमतअमली से पहुंचकर रुकने हेतु कहा गया तो एनएसजी की वर्दी पहने हुए व्यक्ति अपने आप को श्री इन्द्रेण उपाध्याय महाराज जी कथावाचक वृंदावन मथुरा का सुरक्षाकर्मी होना बताया तथा बताया कि उन्हे Y श्रेणी सुरक्षा में एनएसजी मिली हुयी है जिसमें मै तैनात हूँ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 01.रंजन कुमार पुत्र हरिलाल मद्धेशिया निवासी वार्ड नं0-13 राजपुर बगहा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर उम्र- 22 वर्षी (गिरफ्तार)
- 02.विकास राय नि0 फ्लैट नं0 904, 9th टावर के ओमैक्स अपार्टमेंट थाना पी0जीआई0 लखनऊ मो0न0 7905691454 (फरार - मुख्य आरोपी)

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-123/2025 धारा 205/338/336(2)/340(2)/318(2) बीएनएस 7/25 आर्म्स एक्ट थाना आलमबाग लखनऊ

05-बरामदगी-

- एक अदद ऑटोमेटिक पिस्टल (मेड इन इटली),
- एक अदद जिन्दा कारतूस 9 mm,
- एक अदद वायरलेस हैण्ड सेट,
- एक अदद आधार कार्ड ,
- एक अदद कूटरचित उ0प्र0पुलिस परिचय पत्र,
- एक अदद पैनकार्ड,
- एक अदद एटीएम कार्ड,
- एक अदद वाकी टाकी वायर,
- दस अदद उ0प्र0 पुलिस की वर्दी में फोटो,
- एक अदद कूटरचित पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा मेडल,
- एक अदद कूटरचित प्रशस्ति मेडल
- एक अदद ब्लेजर,
- एक अदद सुरक्षा विभाग का कूट रचित आदेश,
- दो अदद कूटरचित अभिसूचना ईकाई लखनऊ का आदेश
- एक अदद मोबाइल फोन

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 01.उ0नि0 संदीप कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
- 02.उ0नि0 हरिओम प्रताप सिंह थाना आलमबाग लखनऊ
- 03.हे0का0 राजीव शंकर थाना आलमबाग लखनऊ
- 04.का0 अविनाश थाना आलमबाग लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-1601

दिनांक-06.07.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- “थाना महानगर से वारंटी पर कार्यवाही”
- दो नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार
- थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ की कार्यवाही।

01.संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण 1. निम्मी सोनकर पुत्र सुरेश सोनकर निवासी 512/184 छठी गली महानगर लखनऊ उम्र 38 वर्ष न 2. संदीप पाल उर्फ छोटू पुत्र शिव राजपाल निवासी मौ0 बडा चाँदगंज अलीगंज लखनऊ उम्र 38 वर्ष जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे और मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर समय से उपस्थित न होने के कारण अभियुक्तगण 1. निम्मी सोनकर व 2. संदीप पाल उर्फ छोटू उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः 1. वाद सं0 3087/19 मु0अ0सं0 229/18 धारा 135 ईसी एक्ट व 2. वाद सं0 20/10 मु0अ0सं0 647/08 धारा 2/3 यू0पी0 जी0 एक्ट थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये थे। अभियुक्तगण 1. निम्मी सोनकर व 2. संदीप पाल उर्फ छोटू उपरोक्त को थाना महानगर को पुलिस टीम द्वारा दि0 06.07.25 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्तगण 1. निम्मी सोनकर पुत्र सुरेश सोनकर निवासी 512/184 छठी गली महानगर लखनऊ उम्र 38 वर्ष न 2. संदीप पाल उर्फ छोटू पुत्र शिव राजपाल निवासी मौ0 बडा चाँदगंज अलीगंज लखनऊ उम्र 38 वर्ष जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे और मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर समय से उपस्थित न होने के कारण अभियुक्तगण 1. निम्मी सोनकर व 2. संदीप पाल उर्फ छोटू उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः 1. वाद सं0 3087/19 मु0अ0सं0 229/18 धारा 135 ईसी एक्ट व 2. वाद सं0 20/10 मु0अ0सं0 647/08 धारा 2/3 यू0पी0 जी0 एक्ट थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये थे।

अभियुक्तगण 1. निम्मी सोनकर व 2. संदीप पाल उर्फ छोटू उपरोक्त को थाना महानगर को पुलिस टीम द्वारा दि0 06.07.25 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

- (1) निम्मी सोनकर पुत्र सुरेश सोनकर निवासी 512/184 छठी गली महानगर लखनऊ उम्र 38 वर्ष
- (2) संदीप पाल उर्फ छोटू पुत्र शिव राजपाल निवासी मौ० बडा चाँदगंज अलीगंज लखनऊ उम्र 38

04-पंजीकृत अभियोग

- (1) वाद सं० 3087/19 मु०अ०सं० 229/18 धारा 135 ईसी एक्ट थाना महानगर लखनऊ
- (2) वाद सं० 20/10 मु०अ०सं० 647/08 धारा 2/3 यू०पी० जी० एक्ट थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० उ०नि० सत्येन्द्र कुमार थाना महानगर लखनऊ
2. उ०नि० उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद थाना महानगर लखनऊ
3. का० नमन कुमार थाना महानगर लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1600

दिनांक-06.07.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

- मलिहाबाद क्षेत्र में मिठाई के दुकानदार से 16,200/-रूपये व मोबाईल लूट करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से लूट के 4690/- रुपये नगद, 03 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बरामद।
- थाना मलिहाबाद पुलिस की सफलता।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.06.2025 को वाजिदनगर तिराहे पर स्थित मिठाई की दुकान से 04 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की मिठाई की दुकान में रात्रि में घुसकर वादी मुकदमा से मारपीट करना व वादी मुकदमा के गल्ले से 16200/- रुपये लूट कर लेना जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर एक किता प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 149/2025 धारा 351(2)/309(6)/127(2) बीएनएस बनाम 04 नफर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

जरिये मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगण 1.अजय राजपूत पुत्र विजय राजपूत निवासी पता दुर्गागंज थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष व 2.दीपक पुत्र सुरेश कश्यप निवासी पता दुर्गागंज थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष 3.ललित पुत्र नन्कू लोधी निवासी पता ग्राम भवानी खेडा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष को ग्राम हसना पुर पुलिसिया से ग्राम मीठे नगर थाना क्षेत्र मलिहाबाद जनपद लखनऊ की जाने वाली सड़क से करीब 100 मीटर पहले से आज दिनांक 06.07.2025 को समय 11.45 बजे मय लूटी गयी राशि रुपये 4690/- व 03 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल स्पेलण्डर UP32KA 1538 के साथ गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियोग में प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त अजीत की सुरागरसी पतारसी जारी है।

बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की मिठाई की दुकान में जाकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करना व वादी मुकदमा के गल्ले से 16200/- रुपये लूट कर लेना व वादी मुकदमा का मोबाईल लूट लेना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजय राजपूत पुत्र विजय राजपूत निवासी पता दुर्गागंज थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष
2. दीपक पुत्र सुरेश कश्यप निवासी पता दुर्गागंज थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
3. ललित पुत्र नन्कू लोधी निवासी पता ग्राम भवानी खेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 18 वर्ष

04-बरामदगी:-

- लूटे गये 4690/- रुपये
- 03 अदद मोबाईल फोन
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकल स्पेलण्डर UP32KA 1538

05- अभियुक्त अजय राजपूत पुत्र विजय राजपूत उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 72/23 धारा 363 /366 आईपीसी हुआ 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना दुबग्गा लखनऊ
2. मु0अ0स0 393/24 धारा 115 (2)/ 191(2)/ 351(2)/352 बीएस थाना मलिहाबाद लखनऊ
3. मु0अ0स0 149/2025 धारा 351(2)/309(6)/127(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

06- अभियुक्त ललित पुत्र नन्कू लोधी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 222/23 धारा 411 /414 आईपीसी व धारा 9 आयुध अधिनियम थाना पारा लखनऊ
2. मु0अ0स0 243/23 धारा 147 /148/ 323/ 308/ 504 506 आईपीसी थाना आशियाना लखनऊ
3. मु0अ0स0 122/24 धारा 392/ 411 आईपीसी थाना काकोरी लखनऊ
4. मु0अ0स0 194/25 धारा 137(2)/87 BNS थाना काकोरी लखनऊ
5. मु0अ0स0 149/2025 धारा 351(2)/309(6)/127(2)/137(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

07- अभियुक्त दीपक पुत्र सुरेश कश्यप उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 149/2025 धारा 351(2)/309(6)/127(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद-

1. वरि0उ0नि0 श्री संजय यादव
2. उ0नि0 श्री विन्ध्य कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार
4. उ0नि0 श्री भारत सिंह
5. का0 सुबास यादव



कार्यालय साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नरेट लखनऊ

टीसी-33, बी-2 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, पिन-226010

ईमेल आईडी- ccpsstf.ln-up@gov.in

मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं0-1602

दिनांक-06.07.2025

- फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल हाउस अरेस्ट कर पीड़ित के साथ 47 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 02 शातिर साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से कुल 1,27,740/- रूपए नगद, 03 अदद मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त), व 03 आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस बरामद।
- साइबर थाना व साइबर सेल लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।

01-कार्यवाही-

यह अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2025 को वादी श्री रविन्द्र वर्मा द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें एक अज्ञात कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें कॉलर ने स्वयं को CBI अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का उपयोग अवैध गतिविधियों में किया गया है और उनके विरुद्ध अंधेरी ईस्ट, मुंबई थाने में एफआईआर दर्ज है।

तत्पश्चात कॉल अंधेरी ईस्ट थाने ट्रांसफर हुआ और WhatsApp वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति पुलिस वर्दी में उन्हें धमकाने लगा। उसने आरोप लगाया कि वादी मनी लॉन्ड्रिंग केस में संलिप्त हैं और उन्हें जेल भेजा जाएगा। बचने हेतु एकांत कमरे में रहने, वीडियो कैमरे के सामने परिवार के किसी सदस्य के न आने, और न्यायालय के आदेशानुसार 99% संपत्ति सुप्रीम कोर्ट खाते में ट्रांसफर करने की बात कही गई।

आरोपी ने फर्जी अरेस्ट वारंट एवं न्यायालय के सीज़र ऑर्डर भेजकर वादी को धमकाया और ₹47 लाख की धोखाधड़ी कर ली। इस पर थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में अपराध संख्या - 100/2025 के अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 351(1), 351(3), 351(4), 204, 205, 336(2), 340(2) BNS एवं आईटी अधिनियम की धारा 43A, 65, 66, 66C, 66D, 69, 84B, 85, तथा विशिष्ट पहचान अधिनियम 2016 (संशोधित 2019) की धारा 38(झ) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस मामले के सफल अनावरण हेतु माननीय पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध), एवं सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर क्राइम) के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना लखनऊ एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई।

प्रभारी निरीक्षक की टीम ने तकनीकी सहायता और सूचना तंत्र के माध्यम से कार्य करते हुए 02 शातिर साइबर अपराधियों को 04.07.2025 को **क्योंझार, ओडिशा** से गिरफ्तार कर लखनऊ लाकर थाना साइबर क्राइम में दाखिल किया।

02-अपराध करने का तरीका:

इस साइबर अपराध पद्धति साइबर अपराधी द्वारा मोबाइल नंबर व आधार आईडी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल कार्ड का दुरुपयोग करके, मनी लॉन्ड्रिंग, MDMA, टेरेरिस्ट कन्वर्जन में नागरिकों का मोबाइल नंबर व अन्य पहचान आदि का इस्तेमाल होना बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर अपराध करते हैं।

साइबर अपराधी खुद को पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाने में हेरफेर करते हैं कि उन्होंने कुछ गंभीर अपराध किया है। कुछ मामलों में, पीड़ितों को "डिजिटल रूप से गिरफ्तार" किया जाता है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उन्हें अपराधियों के सामने स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्मों पर दिखाई देने के लिए मजबूर किया जाता है।

साइबर जालसाज पीड़ित को यह विश्वास दिलाने में धोखा देते हैं कि उसे 'डिजिटल गिरफ्तारी' के तहत रखा गया है और यदि वे घोटालेबाजों को बड़ी रकम का भुगतान नहीं करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। साइबर अपराधी अक्सर भोले-भाले पीड़ितों को यह विश्वास दिलाकर कि उन्हें 'डिजिटल गिरफ्तारी' में डाल दिया गया है और जब तक वे पैसे नहीं चुका देते, वे घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें आत्म-गिरफ्तार करने या स्वयं को एकांतवास में रखने के लिए मजबूर करते हैं।

इसके बाद ठगों द्वारा पुलिस स्टेशन जैसे सेटअप दिखाकर वीडियो कॉल करके डराया जाता है। पूछताछ के नाम पर वेबकैम, स्काइप मोबाइल से वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर उनसे मोटी रकम की ठगी की जाती है एवं ठगी के रूपों को विभिन्न बैंक खातों व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से USDT में कन्वर्ट कर आपस में बाँट लेना।

03-पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बनवाकर उनमें अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते थे। ठगी की राशि ICICI बैंक की कॉर्पोरेट नेटबैंकिंग और Run Paisa गेटवे के माध्यम से जयंत साहू की फर्म के खातों में ट्रांसफर करते थे। वहां से ठगी की राशि को क्रिप्टोकॉरेसी (USDT) में बदल कर आपस में बाँट लेते थे।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि दिनांक 21.06.2025 को उदित बलवंतराय कार्ड (संख्या 5405 2900 1058 4008) के माध्यम से की गई डिजिटल ठगी की राशि ₹27 लाख TRINAV DIGITAL PVT LTD के खाते में भेजी गई थी और आगे के बैंक खातों की जानकारी जयंत साहू को उनके WhatsApp नंबर 9861275859 पर भेजी गई। उन्होंने खातों में ठगी की धनराशि भेजी गई थी और फिर क्रिप्टोकॉरेसी में बदलकर आपस में बाँटी गई।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रंजीत कुमार बेहेरा पुत्र महेश्वर बेहेरा निवासी बहनगा, गंडोना, थाना खनरापाडा, जनपद बालेश्वर, ओडिशा। उम्र लगभग 27 वर्ष
2. जयंत कुमार साहू पुत्र बैधर साहू निवासी बेलाबहाली, थाना घशीपुरा, जनपद क्योझार, ओडिशा। उम्र लगभग 33 वर्ष

05- बरामदगी का विवरण-

- 1,27,740 रूपए बरामद |
- 03 अदद मोबाइल फ़ोन (घटना में प्रयुक्त) |
- 03 अदद आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस

06-गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव, साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
2. उ0नि0 अंकित शर्मा, साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
3. उ0नि0 राकेश मिश्रा, साइबर क्राइम सेल लखनऊ ।
4. हे0का0 अखिलेश पटेल, साइबर क्राइम सेल लखनऊ ।
5. आरक्षी सौरभ गंगवार, साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
6. आरक्षी अमित तिवारी, साइबर क्राइम सेल लखनऊ ।
7. आरक्षी अविनाश वर्मा, साइबर क्राइम सेल लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1599

दिनांक 06.07.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- जान से मारने की नियत से हमला के आरोपी 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी की कार्यवाही।

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2025 को वादी श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0वेद प्रकाश सिंह निवासी ग्रा0दुलारमऊ बक्कास लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर वादी मुकदमा के भांजे (समर सिंह) के साथ लोहे की राड से मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 402/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसमें साक्ष्य संकल के उपरान्त धारा 3(5)/109 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी।

विवेचना के क्रम में मुखविर खास से सूचना प्राप्त हुयी कि अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित तीन व्यक्तियों के नाम तथा गाड़ी के बारे मे पता चला है उनके नाम शिवा रावत पुत्र कमलेश रावत निवासी पासिन ढकवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ दूसरे का नाम राधे जो कि शेखनाघाट का रहने वाला है जिसकी इको वैन थी तथा तीसरे का नाम रॉकी जो की नूरपुर बेहटा का रहने वाला है इन लोगो द्वारा अन्य लड़को के साथ मिलकर मारपीट की गयी थी तथा शिवा इस समय पासिन ढकवा चौराहे पर मौजूद है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त स्थान पर दबिश देकर अभियुक्त शिवा रावत पुत्र कमलेश रावत निवासी पासिन ढकवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 21 वर्ष को हिरासत पुलिस लेकर मु0अ0सं0 402/2025 धारा 3(5)/109/191(2)/191(3)/115(2) बीएनएस मे नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा शेष अभियुक्तो व गाडी की तलाश जारी है।

02- पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त शिवा उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मई महिने की 06 तारीख को मै रॉकी तथा राधे जिनकी सफेद रंग की बिना नंबर की इको वैन थी उसमें हम लोगो के अलावा तीन-चार लडके और बैठे थे रॉकी द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति को जान से मराना है जिसके लिये 65000/- रुपये में सुपारी मिली है।

उसमें से कुछ पैसे आपको भी दे दूंगा इस पर मैं राजी हो गया फिर रॉकी हम लोगो के लेकर दिनांक 06.05.2025 को शाम लगभग 7.30 बजे कैलाशा इन्क्लेव के सामने वैन से गये थे जहाँ पर रात्रि के लगभग 9-9.30 के आस पास वह व्यक्ति बाइक से निकला जिसका हम लोगो ने पीछा कर किसान पथ पर रोक कर उसको लोहे की रॉड से जान से मारने की नियत से प्रहार किये थे जिससे वह सड़क पर गिर गया था फिर हम लोग वैन लेकर जेल रोड की तरफ से वापस घर आ गये थे इस काम में मुझे 3000/- रुपये मिले थे जिसे मैंने खर्च दिये हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवा रावत पुत्र कमलेश रावत निवासी पासिन ढकवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 21 वर्ष /
व्यवसाय- किसान का काम

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 402/2025 धारा 3(5)/109/191(2)/191(3)/115(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

05- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. शिवा रावत पुत्र कमलेश रावत निवासी पासिन ढकवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 21 वर्ष

- 1) मु0अ0सं0 561/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
- 2) मु0अ0सं0 657/2023 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
- 3) मु0अ0सं0 099/2024 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ।
- 4) मु0अ0सं0 402/2025 धारा 3(5)/109/191(2)/191(3)/115(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
- 5) थाना सुशान्त गोल्फ सिटी से अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी है।

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, जोन दक्षिणी कमिश्नेट, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-1603

दिनांक- 06.07.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना- ठाकुरगंज

- थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा काफी समय फरार चल रहे 01 शातिर वांछित लुटेरा / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही-

थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा मु0अ0सं0- 0088/2022 धारा 392 भादवि में सन् 2022 से वांछित चल रहे अभियुक्त अभिषेक राजपूत पुत्र शीतला प्रसाद निवासी 04 भूहर लालाबाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ जो गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं बाहर भाग गया था। जिसको मुखबिर की सूचना के आधार पर बरदानी मन्दिर के थोड़ा आगे से दिनांक 06.07.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2022 को समय 11.08 बजे पर आनलाईन सीसीटीएनएस के माध्यम से वादी श्री यश प्रजापति पुत्र अनिल कुमार प्रजापति नि0 465/190 कच्चापुल चौपटिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादी के बुआ सास का शादी समारोह से वापस आते समय गले से हार छीनकर भाग जाने के बावत मु0अ0सं0- 0088/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

अभियोग उपरोक्त की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त गोबिन्द राजपूत पुत्र खड्का सिंह नि0 लाला बाग भूहर क्रासिंग के पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 23 वर्ष को दिनांक 14.03.2025 को गिरफ्तार जेल भेजा गया एवं बयान अभियुक्त उपरोक्त के अभियोग उपरोक्त में अभिषेक राजपूत पुत्र शीतला प्रसाद निवासी 04 भूहर लालाबाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ का नाम प्रकाश में आया है जिसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

अभिषेक राजपूत उपरोक्त सन 2022 से गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं बाहर जाकर छिपा हुआ था, जो तब से वांछित चल रहा है। जिसको आज दिनांक 06.07.2025 को बरदानी मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अभिषेक राजपूत पुत्र शीतला प्रसाद निवासी 04 भूहर लालाबाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 0069/2022 धारा 392/411 भादवि थाना पारा लखनऊ
2. मु0अ0सं0- 100/2022 धारा 379/411/420/468/471 भादवि थाना पारा लखनऊ
3. मु0अ0सं0- 112/2022 धारा 379/411 भादवि थाना पारा लखनऊ
4. मु0अ0सं0- 088/2022 धारा 392 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 राज बहादुर सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 2- उ0नि0 अतुल कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ